

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-22
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100817

दिनांक: 10/07/2026

लोक सूचना

श्री GOVINDKRIPA INFRA VENTURES पुत्र श्री THROUGH PARTNER RAJU CHOPRA जाति FIRM निवासी 36-38, MOHIT VIHAR, CHOPRA FARM, MANSAROVAR, JAIPUR

श्री BABU LAL CHOUDHARY पुत्र श्री MANGU RAM CHOUDHARY जाति JAT निवासी GANESH VILLA, GANESH NAGAR, KHEJADO KA BAS, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री DINESH KUMAR CHOUDHARY पुत्र श्री BODU RAM CHOUDHARY जाति JAT निवासी GANESH VILLA, GANESH NAGAR, KHEJADO KA BAS, TEH. SANGANER, JAIPUR

श्री GOVIND BEHARI GUPTA पुत्र श्री RADHEY SHYAM GUPTA जाति MAHAJAN निवासी 12, MANU MARG, GOVIND NAGAR WEST, AMER ROAD, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मोहब्बतपुरा (मूल), माधोराजपुरा (जयपुर)	2.) गोविन्दकृपा इन्फ्रा वेन्चर्स हिस्सा 5561 / 7332 जाति (NA) रजिस्टर्ड ऑफिस 36 37 38 मोहित विहार चोपडा फार्म मानसरोवर जयपुर खातेदार 1.) गोविन्द बिहारी गुप्ता पुत्र राधेश्याम हिस्सा 1771 / 7332 जाति महाजन निवासी 12 मनु मार्ग आमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान खातेदार	187	0.7334	0.7334
2.	मोहब्बतपुरा (मूल), माधोराजपुरा (जयपुर)	1.) गोविंदकृपा इन्फ्रा वेन्चर्स हिस्सा पूर्ण जाति N / A मकान संख्या 36 37 38 कॉलोनी मोहित विहार क्षेत्र / स्थान मानसरोवर ग्रेटर शहर जयपुर	1251/193	0.6449	0.6449

		पिन कोड 302020 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार			
3.	मोहब्बतपुरा (मूल), माधोराजपुरा (जयपुर)	2.) बाबूलाल चौधरी पुत्र मांगूराम चौधरी हिस्सा 1 / 2 जाति जाट ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास तह. सांगानेर जयपुर खातेदार 1.) दिनेशकुमार चौधरी पुत्र बोदूराम हिस्सा 1 / 2 जाति जाट ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास तह. सांगानेर जयपुर खातेदार	1252/193	0.2276	0.2276
कुल					1.6059

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **10-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & JAGRUK TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-22
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

